

2593/25
28/01/26

प्रारूप-सात
(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीनशासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम, पूरा पता, मोबाईल नं. तथा ई-मेल आई.डी.
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख
3. साधारण क्रमांक तथा तारीख
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल

टीच फार इंडिया एज्युकेशन एण्ड रिसर्च समिति
301, स्टारलिट टावर, व्हाय.एन.रोड इन्दौर-452003
मो.नं. 98933-00901 (ashish@acropolis.in)
03/27/03/08068/04/दिनांक 08.11.2004
03.01.2026
तारीख 07.01.2026 से 06.01.2029 तक

अनु क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल नम्बर	धारित पद	मुख्य उपजीविका	हस्ताक्षर
1.	श्री आशीष सोजतिया पिता श्री अशोक सोजतिया	212, साकेत नगर, इन्दौर	98933-00901	अध्यक्ष	व्यवसाय	
2.	श्री ईशान सोजतिया पिता श्री आशीष सोजतिया	212, साकेत नगर, इन्दौर	97558-88866	एज्युकेशनिस्ट	व्यवसाय	
3.	श्री आनंद सोजतिया पिता श्री अशोक सोजतिया	212, साकेत नगर, इन्दौर	98930-55525	सचिव	व्यवसाय	
4.	श्री गौरव सोजतिया पिता श्री अशोक सोजतिया	212, साकेत नगर, इन्दौर	989260-13244	कोषाध्यक्ष	व्यवसाय	
5.	श्री अंशुल सोजतिया पिता श्री कमलेश सोजतिया	7, गुलमोहर, इन्दौर	97550-55550	सदस्य	व्यवसाय	
6.	श्रीमती मनीषा सोजतिया पति श्री आनंद सोजतिया	212, साकेत नगर, इन्दौर	98930-08005	सदस्य	व्यवसाय	
7.	श्रीमती आस्था महाजन पति श्री तरुण महाजन	161, तिलक नगर, इन्दौर	99934-90400	सदस्य	एज्युकेशनिस्ट	
8.	श्री अशोक कुमार सोजतिया पिता श्री स्व.डॉ. आर.एम सोजतिया	212, साकेत नगर, इन्दौर	98260-18803	सदस्य	सेवा निवृत्त अधिकारी	
9.	श्रीमती कल्पना भण्डारी पति श्री विरेन्द्रकुमार भण्डारी	जी जी - 16 योजना क्र. 54 विजय नगर, इन्दौर	98930-11575	सदस्य	समाज सेवी	

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन 1000/- रु की वार्षिक फीस ऑनलाइन चालान दिनांक 28.1.26 के मध्यम से जमा कर दी गई है, उसकी प्रति सलग्न है चालान की मूल प्रति सलग्न है।
घोषणा
मैं आशीष सोजतिया पुत्र श्री अशोक सोजतिया आयु लगभग 53 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है। तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 2 के अधीन दण्ड का/की दायी रहूँगा

संस्थान टीच फार इंडिया एन. ए. रिसर्च समिति पंजीयन क्रमांक 8068
दिनांक 08/11/04 के नाम से दिनांक 09/01/26 को प्रस्तुत
मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 की
जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 09/01/26 को
आवेदक श्री आशीष सोजतिया द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27
के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध में
प्रस्तुतकर्ता प्रदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी है। कार्यालय द्वारा धारा 29 के
तहत केवल प्रतिलिपि जारी की गई है। धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि
पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण पत्र/आदेश नहीं है।

हस्ताक्षर.....
नाम:- आशीष सोजतिया
पदनाम (अध्यक्ष)
मो.नंबर 98933-00901
ई-मेल आई.डी. ashish@acropolis.in

B.D. KUBER
Assistant Registrar
Firms & Societies
Indore Division, INDOR